

## वैवाहिक विवाद में अंतिम वकिलप के रूप में पुलिस

### प्रलिस के लिये:

[सर्वोच्च न्यायालय, विश्व आर्थिक मंच, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, 2023, भारतीय न्याय संहिता, 2023, दहेज परतषिध अधिनियम, 1961, वैकल्पिक विवाद समाधान \(ADR\)](#)

### मेन्स के लिये:

वैवाहिक विवाद में अंतिम वकिलप के रूप में पुलिस, घरेलू हिंसा में योगदान देने वाले कारक, [वैकल्पिक विवाद समाधान \(ADR\)](#)

[स्रोत: द हिंदू](#)

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के [सर्वोच्च न्यायालय](#) ने वैवाहिक समस्याओं का सामना कर रहे परिवारों को सावधानी बरतने की सलाह देते हुए कहा है कि पुलिस के पास जाना उनके लिये "अंतिम वकिलप" होना चाहिये।

## सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या हैं?

### परिचय:

- सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ ने **पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय** के आदेश के विरुद्ध पति द्वारा दायर याचिका पर नरिणय सुनाते हुए कुछ टिप्पणियाँ कीं, जसमें उसके विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था।
- सर्वोच्च न्यायालय केवल "कूरता और उत्पीडन के वास्तविक मामलों" में पुलिस के हस्तक्षेप का उपयोग करने में सावधानी बरतने की सलाह देता है।

### टिप्पणियाँ:

- यह नरिणय **भारतीय दंड संहिता (IPC)** की धारा 498A (घरेलू कूरता) के यांत्रिक अनुप्रयोग के विरुद्ध चेतावनी देता है।
- एक "पूरण" घरेलू हिंसा के मामले में आपराधिक धमकी या मामूली परेशानियों से परे क्षति पहुँचाने जैसे तत्त्वों की आवश्यकता होती है।
- न्यायालय ने संसद से **भारतीय न्याय संहिता, 2023** की धारा 85 और 86 (3 वर्ष तक की सज़ा) (IPC की धारा 498A के समान) की समीक्षा करने का आग्रह किया।
- तलाक को **बच्चे के पालन-पोषण के लिये हानिकारक** माना जाता है, विशेष रूप से जब कानूनी प्रक्रियाओं के कारण जल्दबाज़ी की जाती है।
- यह नरिणय **उच्च न्यायालयों** को वैवाहिक मुद्दों से उत्पन्न आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की याचिका पर नरिणय लेने से **पूरक्सभी पहलुओं और परिस्थितियों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के लिये प्रोत्साहित** करता है।

### नोट:

- मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय** ने फैसला सुनाया कि किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ अपराकृतिक यौन संबंध को **IPC की धारा 377 के तहत "बलात्कार" नहीं माना जाएगा क्योंकि ऐसे मामले में पत्नी की सहमत भिन्नत्वहीन हो जाती है** क्योंकि वह उससे विवाहित थी।
  - एक पत्नी द्वारा अपने पति के खिलाफ अपराकृतिक यौन संबंध बनाने का आरोप लगाते हुए दर्ज़ कराई गई FIR को न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया।
- हालाँकि **वैवाहिक बलात्कार** IPC में अपराध नहीं है, फिर भी **केरल उच्च न्यायालय ने वर्ष 2021 में फैसला सुनाया कि वैवाहिक बलात्कार पति द्वारा पत्नी के प्रतिकूरता है और कूरता के दायरे में यह तलाक का आधार है।**

## वैवाहिक विवादों को हल करने हेतु अन्य मौजूदा उपाय क्या हैं?

- **वैकल्पिक विवाद समाधान (Alternative Dispute Resolution- ADR)** के तहत विभिन्न तंत्र वैवाहिक विवादों के यथाशीघ्र समाधान में सहायता कर सकते हैं:
  - **मध्यस्थता:** एक तटस्थ तृतीय पक्ष वैवाहिक और पारिवारिक विवादों के संबंध में पारस्परिक रूप से सहमत समाधान तक पहुँचने के लिये पति-पत्नी के बीच बातचीत एवं समझौते की सुविधा प्रदान करता है।
    - **के. श्रीनिवास राव बनाम डी.ए. दीपा** मामले में **सर्वोच्च न्यायालय** ने वैवाहिक विवादों में मध्यस्थता पर जोर दिया।
  - **सुलह:** मध्यस्थता के समान, **सुलहकरता भी समाधान प्रस्तावित कर सकता है और युग्म को एक समझौते की ओर मार्गदर्शित कर सकता है।**
  - **माध्यस्थम:** यहाँ **दोनों पक्षों द्वारा चुना गया एक नज्दी मध्यस्थ** तर्क सुनता है और विवाद से संबंधित बाध्यकारी निर्णय देता है।
- इसके अतिरिक्त विभिन्न कानूनी संस्थान विवाह की अवधारणा में भावनाओं और सामाजिक वर्जनाओं जैसे कारकों की भागीदारी के कारण **न्याय प्रदान करने के अधिक प्रभावी तरीके** के रूप में **वैकल्पिक विवाद समाधान (Alternative Dispute Resolution- ADR)** प्रदान करते हैं।
  - **1984 के परिवार न्यायालय अधिनियम** द्वारा स्थापित परिवार न्यायालय विवाह और पारिवारिक मामलों तथा उससे संबंधित विवादों के सुलह एवं त्वरित निपटान को बढ़ावा देते हैं।
  - **ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008** के तहत स्थापित ग्राम न्यायालय भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में वैवाहिक विवादों तक त्वरित और सीधी पहुँच प्रदान करते हैं।
  - **सविलि प्रक्रिया संहिता, 1908** और **हिंदू विवाह अधिनियम, 1955** भी पारिवारिक विवादों में सुलह को प्रोत्साहित करते हैं।



# महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा

घरेलू हिंसा किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार को संदर्भित करती है, चाहे वह घर, परिवार या घरेलू इकाई की सीमा के भीतर शारीरिक, भावनात्मक, यौन या आर्थिक हो।



## राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (NFHS), 2019-2021

- 29.3% विवाहित महिलाओं ने घरेलू/यौन हिंसा का अनुभव किया
- 3.1% गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान शारीरिक हिंसा का सामना करना पड़ा
- 87% विवाहित महिलाओं, जो वैवाहिक हिंसा की शिकार हुईं, ने मदद नहीं मांगी
- 32% विवाहित महिलाओं ने **शारीरिक, यौन या भावनात्मक हिंसा** का अनुभव किया

### भारत में कानूनी ढाँचे

<b>घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 (PWDVA)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>इसमें शारीरिक, भावनात्मक, यौन और आर्थिक शोषण शामिल है</li> <li>सुरक्षा, निवास और अनुतोष हेतु विभिन्न आदेश प्रदान करता है</li> </ul>
<b>भारतीय दंड संहिता, 1860</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>धारा 498A</b> पति या उसके रिश्तेदारों के द्वारा की गई क्रूरता से संबंधित है</li> <li><b>क्रूरता, उत्पीड़न या यातना</b> के कृत्यों को अपराध घोषित करता है</li> </ul>
<b>दहेज निषेध अधिनियम, 1961</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>यह <b>दहेज देने</b> या <b>दहेज लेने</b> को अपराध घोषित करता है</li> </ul>
<b>दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>घरेलू हिंसा</b> के मामलों में <b>यौन उत्पीड़न</b> से संबंधित <b>नए अपराधों</b> को शामिल करने के लिये <b>IPC</b> की धारा <b>354A</b> में संशोधन किया गया।</li> </ul>
<b>राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>महिलाओं के अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है और घरेलू हिंसा से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है</li> </ul>
<b>बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>बाल विवाह को रोकना और बाल वधू के विरुद्ध घरेलू हिंसा को रोकना।</li> </ul>

### वैश्विक पहलें

- महिलाओं के प्रति भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर केंद्रित 'संधि' (CEDAW):** वर्ष 1979 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया
  - जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति भेदभाव को समाप्त करना
- महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा (DEVAW):** महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को स्पष्ट रूप से संबोधित करने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय उपकरण
  - राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई के लिये एक रूपरेखा प्रदान करता है
- सुरक्षित शहर और सुरक्षित सार्वजनिक स्थान:** संयुक्त राष्ट्र महिला द्वारा संचालित प्रमुख कार्यक्रम
  - सार्वजनिक स्थानों पर यौन उत्पीड़न एवं हिंसा के अन्य रूपों को रोकना और उन पर प्रतिक्रिया देना
- बीज़िंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन (1995):** हिंसा को रोकने और प्रतिक्रिया देने के लिये सरकारों द्वारा की जाने वाली विशिष्ट कार्रवाइयों की पहचान करता है
- SDG 5 (लैंगिक समानता):** प्रत्येक स्थान पर सभी महिलाओं और लड़कियों के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करना



Drishti IAS



## आगे की राह

- संसद को भारतीय न्याय संहिता की धारा 85 और 86 की समीक्षा पर वचिार करना चाहयिे ताक भवषिय इसके दुषुपयोग या फरुुी मामलों को रोकल जा सके ।
- वैवाहक वविवदों से संबंघतल मामलों में पुलसल के हसुतकषेप को कम करने के लयल कानूनी काररवई से पूरव सुलह के पूरयासों पर वशषल रूड से धयान दयल जानल चाहयल ।
- संवेदनशील वैवाहक मुददों को संभालने में मध्यसुथों और सुलहकरुतुताओं के उघतल पूरशकषण दुवलर ADR तंतुर को मरुडूत करने की आवसुयकतल है ।
  - खाप पंचायतों (जातल यल सामुदायकल समूहों) जैसे सुथानीय एवं अनयलमतल ADR तंतुर को वनलयलमतल और सुधारने की आवसुयकतल है, जो अरुदुध-न्यायकल नकलयों के रूड में काररुय करते हैं तथल संवेदनशील वैवाहक मुददों में भी सदथलं पुराने रीत-रवलजुओं के आधलर पर कठोर दंड देते हैं ।
- शांतपूरण वविवद समाधान के लयल कानूनी अधकलरों और ADR वकलरुपों के बारे में जन जागरूकतल पर धयान दयल जानल चाहयल ।
- वैवाहक कलह कल सामनल कर रहे जोडुओं को सुलभ मानसकल सुवासुथुय सेवार्एँ पूरदान करने, संघलर और संघरुष समाधान कौशल को बढलवल देने के लयल उघतल तंतुर सुथापतल कयल जानल चाहयल ।

## नषलकरुष:

सरुवोघुघ न्यायललय की टपलपणी वैवाहक वविवदों के पूरतल सुूकषम दृषुटकलण पर आधलरतल है । यह जोडुओं को ततुकलल पुलसल हसुतकषेप यल आपरलधकल काररुवली पर सुलह करने और सहनशीलतल को पूरलथमकलतल देने के लयल पूरुतसलहतल करतल है । करूरतल के वलसुतवकल मामलों को सुवीकार करते हुए, न्यायललय कल उदुदेशुय कानूनों के दुषुपयोग को रोकनल तथल पतल-पतुनी और बघुचुओं दुनों की भललई की ररुषल करनल है ।

### दृषुटल मुखुय पूरशुन:

**पूरशुन.** वैवाहकल मामलों में पुलसल की भलगलदलरल पर सरुवोघुघ न्यायललय की टपलपणयलं पर चरुचल कीजयल । इसके अलवल भारत में वैवाहकल वविवदों को सुलझलने के अनुय मौजूदल तरलरुकों कल भी उलुलेख कीजयल ।

## UPSC सवलल सेवल परलकषल, गत वरुष के पूरशुन

### ??????:

**पूरशुन.** पूरलय: समलचलरुओं में देखल जनल वलली 'बीजगल घुषणल और काररुवई मंघ (बीजगल डकललरेशन ँड प्लैटफुॉरुम फुॉर ँकषुन)' नमलनलखलतल में से कयल है? (2015)

- (a) कषेतुरीय आतंकवलद से नपलटने की ँक काररुयनीतल (सुदुरैटजी), शंघलई सहयुग संगठन (शंघलई कोऑपरेशन ऑरुगनलइरुेशन) की बैठक कल ँक पूरणलम
- (b) ँशलयल-पूरशलनुत कषेतरु में धलरणीय आरुथकल संवुदुधकी ँक काररुय-युजनल, ँशलयल-पूरशलनुत आरुथकल मंघ (ँशलयल-पैसफकल इकनॉमकल फुोरुम) के वघलर-वमलरुश कल ँक पूरणलम
- (c) महललल सशकुतलकरण हेतु ँक काररुयसूची, संयुकुत रलषुदुर दुवलरल आयुजतल वशलव समुमेलन कल ँक पूरणलम
- (d) वनुय जीवुओं के दुषुवयलपलर (दुरैफकलगल) की रोकथलम हेतु काररुयनीतल, पूरुवी ँशलयल शखलर समुमेलन (ईसुट ँशलयल समटल) की ँक उदुघुषणल

उतुतर: (c)

### ??????:

**पूरशुन.** हमें देश में महलललओं के पूरतल युोन-उतुतुपीडन के बढते हुए दृषुटांत दखलई दे रहे हैं । इस कुकुतुय के वरुदुध वदलयमलन वधकल उडडंधुओं के हुते हुए भी, ँसी घटनलओं की संखुयल बढ रही है । इस संकट से नपलटने के लयल कुषु नवलचलरल उडडल सुझलइए । (2014)

**पूरशुन.** भारत में ँक मध्यम-वरुगीय कलमकलरुी महललल की अवसुथतल कल पतुतलंतुर (पेटुरलरुकी) कसल पूरकलर पूरभलवतल करतल है? (2014)